



झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

78

अधिसूचना

सं० 2113/12

राँची, दिनांक 13 अक्टूबर
अगस्त, 2012

झारखण्ड सेवा संहिता, 2001 के नियम-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड सेवा संहिता, 2001 के नियम-73 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

झारखण्ड सेवा (संशोधन) संहिता, 2012

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(i) यह "झारखण्ड सेवा (संशोधन) संहिता, 2012" कही जा सकेगी;

(ii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सेवा संहिता, 2001 के नियम-73 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :- "किसी सरकारी सेवक की 'वार्धक्य सेवा निवृत्ति' की तारीख वह है, जिस तारीख को उसकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है। 'वार्धक्य सेवा निवृत्ति' की तारीख के बाद वह राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर सार्वजनिक कारणों से जो लिख रखे जायेंगे, सेवा में रखा जा सकता है।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Sukhdev 18/8
25/8
(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

(6/S-(अ०नि०)-01/2012)